न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः– जय प्रकाश, आर.ए.एस.

...जी संख्याः– 100/2016/अपील

सागरमल पुत्र भगवानसहाय जाति दर्जी निवासी ग्राम थोई उपतहसील अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज)

अपीलान्ट

बनाम

1. उप तहसीलदार अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज)

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध न्यायालय नायब तहसीलदार अजीतगढ़ के आदेश दिनांक 22.08.2016 प्रकरण संख्या 147/16 अनुवानी सरकार बनाम सागरमल

वकील अपीलांट श्री प्रभातीलाल

निर्णय दिनांकः–**28.02.2019**

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि ग्राम थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर की तन में कृषि भूमि वर्तमान खसरा संख्या 2060 रकबा 1.58 है0, खसरा संख्या 2033 रकबा 0.14 है0, खसरा संख्या 2067 रकबा 0.62 है0, खसरा संख्या 2077 रकबा 0.32 है0 पुराना खसरा संख्या 826 रकबा 10 बीघा 8 बिस्वा अवस्थित है। जिसमें अपीलान्ट 0.45 हैक्टियर के अनुसार करीब 4 बीघा भूमि का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने से पूर्व अपीलान्ट का पिता काश्त किया करता था। जिसके जीवनकाल में ही अपीलान्ट काश्त करने लग गया था। तथा उक्त भूमि पर सदैव से ही काश्त होती रही है, परन्तु प्रथम भू–प्रबंध कार्यवाही के दौरान इस कृषि भूमि की किस्म सहवन से गैर मुमकिन नला अंकित कर दिया था। उक्त कृषि भूमि की किस्म गैर मुमकिन नला अंकित हो जाने से राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि को सिवायचक बिना लगानी दर्ज कर दिया। जिस कारण सहवन से अपीलान्ट का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ। जबकि राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम प्रभाव में आने के समय अपीलान्ट का कब्जा काश्त होने के कारण अपीलान्ट को खातेदारी अधिकारी प्राप्त हो गये थे। उक्त कृषि भूमि काबिले काश्त होने के कारण अपीलान्ट को 0.45 हैक्टियर भूमि का आवंटन सलाहकर समिति द्वारा कैम्प अजीतगढ में दिनांक 10.07.1999 को नियमन भी कर दिया था अर्थात अपीलान्ट निरन्तर एवं निर्विवाद रूप से इस भूमि पर काश्त करता चला आ रहा है। हल्का पटवारी ने संवत 2073 में 0.30 हैक्टियर पर बाजरे की फसल की बुवाई करके अनाधिकृत कब्जा करने की सर्वथा मिथ्या रिपोर्ट करवा कर तहसीलदार महोदय श्रीमाधोपुर के समक्ष प्रस्तुत करवायी। जिसे अग्रिम कार्यवाही के लिए तहसीलदार महोदय श्रीमाधोपुर ने उपतहसीलदार अजीतगढ को अन्तरित कर दिया। जहां से अपीलान्ट को दिनांक 22.08.2016 को उपस्थित होकर हेतुक दर्शित करने के लिए दिनांक 29.07.2016 को नोटिस जारी किया। जिस पर अपीलान्ट जरिये अधिवक्ता दिनांक 22.08.2016 को उपस्थित हुआ एवं जवाब व साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए अवसर चाहा। जिस पर उप तहसील कार्यालय अजीतगढ द्वारा दिनांक 22.08.2016 का ही बेदखली हेतु आदेश पारित कर दिया। योग्य अधिनस्थ उप तहसीलदार ने अपीलान्ट को ना

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांक 22.08.2016 को ही चुनौतिग्रस्त आदेश पारित कर दिया। निर्णय दिनांक 2016 की आदेशिका (आर्डरशीट) के अवलोकन से स्पष्ट है कि योग्य अधिनस्थ उप लदार ने मनमोजीपन से आरबीट्रेरी निर्णय पारित कर दिया, जबकि आरबीट्रेरी निर्णय त किया जाना विधि के प्रावधानो के विपरीत है। चुनौतिग्रस्त निर्णय का अवलोकन किया वे तो उक्त निर्णय साईक्लोस्टाईल परफोरमा में अंकित खाली जगहो में नाम पता, खसरा नम्बर क्षैत्रफल आदि भरकर निर्णय पारित कर दिया। जिसमें अपीलान्ट को अनुपस्थित होना अंकित किया है तथा गैर सायल की ओर से साक्ष्य सबूत पेश नही करना अंकित किया है जबकि अपीलान्ट योग्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ था। जिसके सम्बन्ध में दिनांक 22.08.2016 की आदेशिका में अंकन है। इससे स्पष्ट है कि योग्य अधिनस्थ उप तहसीलदार ने ना तो पत्रावली का अवलोकन किया, ना ही प्रकरण को निस्तारित करने के सम्बन्ध में विधि के प्रावधानो का अवलोकन किया तथा विधि विरूद्ध निर्णय पारित कर दिया। जिस भूमि के सम्बन्ध में अपीलान्ट को बेदखल करने का निर्णय पारित किया है उक्त भूमि कभी भी गैर मुमकिन नला की भूमि नही रही बल्कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव मे आने के समय से ही काश्त योग्य भूमि रही है। जिस पर निरन्तर एवं निर्विवाद रूप से काश्त की जा रही है। अर्थात 50 वर्ष से भी अधिक समय से काश्त किया जाना अनवरत जारी है। जिस कारण उक्त भूमि नियमन योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर योग्य अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार अजीतगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 147/2016 अनुवानी सरकार बनाम सागरमल में पारित आदेश दिनांक 22.08.2016 को निरस्त फरमाया जावे।

पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया गया व विद्वान अधिवक्ता अपीलांट को सुना गया। अधिवक्ता अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। अधिनस्थ न्यायालय से प्राप्त रिकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया गया। रिकार्ड पत्रावली के अवलोकन से प्रकरण दिनांक 29.07.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी कर आगामी तारीख पेशी 22.08.2016 अंकित की गई। आदेशिका दिनांक 22.08.2016 में अंकित किया गया है कि "पत्रावली पेश हुई। अतिकमी की और से एड. श्री आदित्य प्रतापसिंह व श्री विक्रम सिंह एड. ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।" आदेशिका दिनांक 22.8.2016 में अप्रार्थी जरिये अधिवक्ता उपस्थित होने का अंकन किया गया है जबकि चुनौतिग्रस्त निर्णय दिनांक 22.08.2016 में अप्रार्थी/गैरसायल अनुपस्थित रहने एवं कोई साक्ष्य सबुत पेश नहीं किये जाने बाबत अंकित किया हुआ है। आदेशिका दिनांक 22.08.2016 एवं चुनौतिग्रस्त निर्णय दिनांक 22.08.2016 में अप्रार्थी के उपस्थित होने एवं अनुपस्थित रहने के सम्बंध में विरोधाभाषी तथ्य प्रकट हुये है। चुनौतिग्रस्त निर्णय का अवलोकन किया गया। उक्त निर्णय साईक्लोस्टाईल परफोरमा में अंकित खाली जगहो में नाम पता, खसरा नम्बर, क्षैत्रफल आदि भरकर निर्णय पारित किया गया है एवं अप्रार्थी को सुनवाई/साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं दिया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर योग्य अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार अजीतगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 147/2016 अनुवानी सरकार बनाम सागरमल में पारित निर्णय दिनांक 22.08.2016 को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है एवं प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अप्रार्थी को पुनः सुना जाकर नियमानुसार विधिवत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/2/19

(जय प्रकाश)
अति. जिला कलक्टर, सीकर